

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखनऊ

सेवा में

प्रबन्धक

नालन्दा इण्टरनेशनल एकेडमी,  
न्यू जेल रोड, मऊ, मोहनलालगंज

लखनऊ

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/अंग्रेजी मा०/ ४३१

दिनांक १०.५.१८

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2017-18 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 8 तक) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मूंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मूंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25-प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा १२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-  
 (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।  
 (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।  
 (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।  
 (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।  
 (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।  
 (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।  
 परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।  
 (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

और,

(8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।

(9)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।

*Manager*

NALANDA INTERNATIONAL ACADEMY  
Mohanlal Ganj, Lucknow

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 3830 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल— 2101.11 (बेसमेन्ट एवं भूतल)

कीड़ास्थल का क्षेत्रफल— —

कक्षाओं की संख्या— 12

प्रधानाध्यापक—सहकार्यालय—सहभण्डार के लिए कक्ष— 3

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— उपलब्ध है

ऐयजल सुविधा—उपलब्ध है।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई— उपलब्ध है

बाधारहित पहुँच—उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति

प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-318 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ

किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

*(प्रवीण मणि त्रिपाठी)*  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

### प०सं० एवं दिनांक—उक्तवत्

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।

2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ

3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ, इलाहाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ

6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

7. कार्यालय गार्ड फाइल।

*जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी*  
लखनऊ

# कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / 9107 /2022-23  
प्रबन्धक,

दिनांक 05-07-2023

नालंदा इंटरनेशनल एकेडमी,  
न्यू जेल रोड मऊ, मोहनलालगंज

लखनऊ।

कृपया अपने पत्र दिनांक 27-06-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सी०बी०एस०ई०  
मान्यता प्राप्त हेतु आपत्ति निस्तारण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक: बेसिक / मान्यता / अंग्रेजी  
मा० / 839/2017-18 दिनांक 09.05.2017 द्वारा विद्यालय को शिक्षा सत्र 2017-18 से तीन वर्ष की  
अवधि के लिये प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 8 से तक) के लिये अंग्रेजी  
माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान की गयी है। शासनादेश सं०-419/79-6-2013-18 (20)/91  
शिक्षा अनुभाग-06 दिनांक 08 मई 2013 के बिन्दु सं०-15 में उल्लिखित है कि “प्रथमतया निर्धारित  
प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये  
दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य  
संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की  
गयी है।”

पृ० ०५.०७.२३  
(अरुण कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या: बेसिक / सामान्य /

/2022.23 दिनांक उक्तवत्।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल लखनऊ को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ